

(7)

And

One year experience of working on a technical post in Cardiology Department of a hospital.

Note:- The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(10)

(11)

66 2/3 percent. by promotion

33 1/3 percent, by direct recruitment

From Junior Cardiac Technician in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital with five years regular service in the pay scale of PB 1, Rs. 52-20200 plus 2400.

(12)

(13)

## Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and Confirmation): -

Not applicable.

Additional Medical Superintendent, Dr. Ram
 Manchar Lohio Hospital

Manohar Lohia Hospital — Chairman

2. Head of the concerned Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital

Deputy Director Administration, Dr. Ram

 Deputy Director Administration, Medical Hospital, Directorate General of Health Services

Manohar Lohia Hospital

—Member

--Member

---Member

[F.No. A-11018/23/2012-MI] III/II (RR)]

SANJAY PANT, Under Sccy.

## जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 236.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, तकनीकी आपरेटर (ड्रिलिंग) भर्ती नियम, 1986 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में तकनीकी आपरेटर (ड्रिलिंग) के पद पर भर्ती की पदिति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातृ :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(।) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, तकनीकी आपरेटर (ड्रिलिंग) समूह ग पद भर्ती नियम, 2014 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद संख्या, उनका वर्गीकरण वेतन वैंड, और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से(13) में विनिर्दिष्ट हैं।
  - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,---
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
    - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणें, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

			अनुसूची		
पद्द का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी आपरेटर (ड्रिलिंग)	768* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200- 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (कंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में चालीस वर्ष और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए पैतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण:1-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निण्णां यक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निण्णां यक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (निक वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल

		(6)	
		प्रदेश के लाहील और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी, उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2:— रो जगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह ॲतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भोजने के लिए कहा गया है।	
	•		
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	परिवोक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
शिक्षिक और अन्य अर्हताएं	साथ मता किए जान वाल व्याक्तया के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	पारपादा का अवाय, याद काई हा ं	
. (7)	(8)	(9)	
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और मोटर मैकेनिक या डीजल मैकेनिक या फिटर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	
समतुल्य और मोटर मैकेनिक या डीजल मैकेनिक या फिटर में औद्योगिक प्रशिक्षण		ारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे	
समतुल्य और मोटर मैंकेनिक या डीजल मैंकेनिक या फिटर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र । भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्रति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न	प्रोत्रति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्व	ारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे	
समतुल्य और मोटर मैंकेनिक या डीजल मैंकेनिक या फिटर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र । भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्रति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्व प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति/आमेलन	ारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे	
समतुल्य और मोटर मैं केनिक या डीजल मैंकेनिक या फिटर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र । भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्रति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोत्रति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्व प्रोत्रति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन (।।)	ारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे	
समतुल्य और मोटर मैं केनिक या डीजल मैंकेनिक या फिटर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र । भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्रति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्व प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति/आमेलन (।।) लागू नहीं होता	ारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे	
समतुल्य और मोटर मैं केनिक या डीजल मैंकेनिक या फिटर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र । भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्रति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता (10)	प्रोत्रित या प्रितिनयुक्ति/आमेलन द्व प्रोत्रित या प्रितिनयुक्ति/आमेलन (।।) लागू नहीं होता भर्ती करने में किन परि परामर्श किया जायेगा।	ारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे न किया जाएगा	
समतुल्य और मोटर मैं केनिक या डीजल मैंकेनिक या फिटर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र । भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्रति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता (10) सीधी भर्ती द्वारा	प्रोत्रित या प्रितिनयुक्ति/आमेलन द्व प्रोत्रित या प्रितिनयुक्ति/आमेलन (।।) लागू नहीं होता भर्ती करने में किन परि परामर्श किया जायेगा।	ारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे न किया जाएगा सिथितियों में संघ लोक सेवा आयोग से	
समतुल्य और मोटर मैं केनिक या डीजल मैंकेनिक या फिटर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र ।  भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्रति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता  (10)  सीधी भर्ती द्वारा  (12) विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि के संबंध में विचा के लिए) जिसमें निम्निलखित होंगे :-  ।. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	प्रोत्रित या प्रितिनयुक्ति/आमेलन द्व प्रोत्रित या प्रितिनयुक्ति/आमेलन (।।) लागू नहीं होता भर्ती करने में किन परि परामर्श किया जायेगा।	ारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे न किया जाएगा स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से	
समतुल्य और मोटर मैं कैनिक या डीजल मैंकेनिक या फिटर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र ।  भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्रति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता  (10)  सीधी भर्ती द्वारा  (12) विभागीय प्रोन्नित सिमिति (पुष्टि के संबंध में विचा के लिए) जिसमें निम्निलखित होंगे :-  1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिंगत जल बोर्ड	प्रोन्नित या प्रितिनयुक्ति/आमेलन ह प्रोन्नित या प्रितिनयुक्ति/आमेलन (।।) लागू नहीं होता भर्ती करने में किन परि परामर्श किया जायेगा। ( र करने लागू न	ारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे न किया जाएगा सिथितियों में संघ लोक सेवा आयोग से	

## MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 11th November, 2014

- G.S.R. 236.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board Technical Operator (Drilling) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Operator (Drilling) in the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, namely:-
- 1. Short title and commencement.—(I) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Technical Operator (Drilling), Group 'C' post Recruitment Rules, 2014.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
  - 4. Disqualification.—No person,—
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Operator (Drilling)	768* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 Rs.5200-20200, plus grade pay Rs. 1800		Between 18-27 years. (Relaxable for Government Servants up to the age 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidated belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribe in accordance with the

Direct recruitment

(6)instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of application from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur. Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep) Note 2: In respect of posts the appointment to which made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit in each case will be the last date upto which the Employment Exchange are asked to submit the names. Educational and other qualifications Whether age and educational Period of probation, if any qualification prescribed for required for direct recruits direct recruits will apply in the case of promotees (7) (8) (9) Not applicable Essential: Two years Matriculation or equivalent from a recognized Board or University and Certificate from Industrial Training Institute in Motor Mechanic or Diesel Mechanic or Fitter. Method of recruitment: Whether by direct In case of recruitment by promotion or deputation/ recruitment or by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies absorption to be made to be filled by various methods (10)(11)

Not applicable

[भाग II — खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : नवम्बर 15,	2014/कार्तिक 24, 1936
If a Departmental Promotion Committee its composition	e exists, what is	Circumstances in which Union Public Servic Commission is to be consulted in makin recruitment
(12)		. (13)
Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consis	ting of :—	Not applicable.
i) Director (Administration), Central Ground Water Board	—Chairman	
ii) Executive Engineer, Central Ground		

-Member

-Member

Water Board

iii) Administrative Officer, Central Ground Water Board

[F.No. 23/01/2013/CGWB] VINEETH ABRAHAM, Under Secy.